भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 128

उत्तर देने की तारीख: 18.11.2019

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु शिक्षा

128. श्री कौशल किशोरः
श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर राज्यों में एक समान शिक्षा प्रणाली कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को कक्षा-1 में प्रवेश नहीं मिल पाता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर लकी ड्रॉ या वीआईपी कोटा के माध्यम से प्रवेश नहीं पाने वाले छात्रों हेतु सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है; और
(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय विद्यालयों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में 6-14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मूल अधिकार माना गया है। आरटीई अधिनियम, की धारा 10 में उल्लेख है कि यह प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का दायित्व है कि वह अपने बच्चे या वार्ड का दाखिला पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा में कराए अथवा करवाए, जैसा भी मामला हो। अधिनियम की धारा 12(1)(ग) में यह अधिदेशित है कि सभी निजी सहायता

प्राप्त, विशेष श्रेणी के विद्यालय और निजी गैर-सहायता विद्यालय कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को कक्षा की कुल संख्या के अनुसार 25 प्रतिशत का दाखिला कक्षा 1 (अथवा निचली कक्षा) में करें और उनकी शिक्षा पूरी होने तक उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से वंचित समूहों और कमजोर वर्ग, प्रति छात्र लागत अनुसूचित करना और निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला शुरू करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने अपने दिनांक 25.05.2016 के पत्रांक 12-5/2016-ईई11 के जरिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों का वास्तविक मूल्यांकन करें।

(ग): इस चरण पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****